आई-9/11/2026-डब्ल्यू एंड एम (ई–39647)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
बाट तथा माप अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 09.06.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आयातकों के लिए पूर्व से अनुमोदित बाट और माप के मॉडलों की मान्यता/पृष्ठंकनन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, भारत में विनिर्माण या आयात से पहले बाट और माप के प्रत्येक मॉडल का मॉडल अनुमोदन अनिवार्य है।

2. यह देखा गया है कि अनेक मामलों में, एक ही विनिर्माता द्वारा विनिर्मित तथा डिज़ाइन, मापविज्ञान संबंधी विशेषताओं अथवा तकनीकी विनिर्देशों में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना, ऐसे समान मॉडलों के लिए, जिन्हें पूर्व में ही किसी आयातक के पक्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, अन्य आयातकों द्वारा पुनः मॉडल अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे मॉडल अनुमोदन प्रक्रिया की अनावश्यक पुनरावृत्ति होती है तथा विनियामक अनुपालन का अनावश्यक बोझ बढ़ता है।

3. प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने तथा वैधानिक आवश्यकताओं के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एकसमान उपकरणों के आयातकों के लिए पूर्व से अनुमोदित मॉडलों की मान्यता/पृष्ठांकन हेतु एक सरलीकृत तंत्र लागू करने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार, आयातकों के लिए पूर्व से अनुमोदित बाट अथवा माप के मॉडलों की मान्यता/पृष्ठांकन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओएपी) आवश्यक कार्यवाही हेतु इसके साथ संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

5. इस एसओपी में ऐसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत में पूर्व से अनुमोदित एकसमान मॉडलों के आयातक, मॉडल अनुमोदन की नई प्रक्रिया से गुज़रे बिना, विद्यमान मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र के आधार पर, पहचान, अभिलेखों के सत्यापन तथा लागू विधिक मापविज्ञान संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, मान्यता/पृष्ठांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

6. एसओपी की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- यह केवल उन एकसमान मॉडलों पर लागू होगा, जिन्हें भारत में पूर्व से अनुमोदित किया जा चुका है तथा जो उसी विदेशी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित हों।

- पहचान, तकनीकी विनिर्देशों तथा सीलिंग/तकनीकी मानकों का अनिवार्य सत्यापन।
- जहाँ मॉडल की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है, वहाँ नए मॉडल अनुमोदन अथवा पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- मूल मॉडल अनुमोदन से संबद्ध मान्यता/पृष्ठांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

7. इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदन, संलग्न एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदेशक, विधिक मापविज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग के को प्रस्तुत किए जाएंगे।

आपका विश्वासपात्र

(आशुतोष अग्रवाल)
निदेशक (विधिक माप विज्ञान)
दूरभाष: 011-23389489
ई-मेल: dirwm-ca@nic.in

प्रति: सभी हितधारक

(**टिप्पणी**: अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों में किसी भी तरह का अंतर होने पर, अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।)

आई-9/11/2026-डब्ल्यू एंड एम (ई–39647)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

बाट तथा माप अनुभाग

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

आयातकों के लिए पहले से स्वीकृत बाट या माप के मॉडल की मान्यता/अनुमोदन

1. प्रयोजन

यह मानक एसओपी भारत में पूर्व अनुमोदित किसी बाट या माप के मॉडल के आयात के लिए मान्यता/पृष्ठांकन प्राप्त करने के इच्छुक आयातकों के आवेदनों को प्रोसेस करने हेतु एकरूप एवं सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य एकसमान उपकरणों के लिए मॉडल अनुमोदन की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचते हुए, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2. कानूनी आधार / नीतिगत संदर्भ

यह एसओपी निम्नलिखित के अंतर्गत जारी किया गया है:

- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22
- मॉडल अनुमोदन एवं अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के प्रासंगिक प्रावधान।

यह एकसमान उपकरणों के लिए अनुमोदन की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से विनियामक सरलीकरण एवं व्यवसाय सुगमता संबंधी उपायों, जिनमें नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-एनएफआरआर) की अनुशंसाएँ भी शामिल हैं, के अनुपालन में भी जारी किया जा रहा है।

3. कार्य-क्षेत्र

यह एसओपी निम्नलिखित पर लागू होगा:

- बाट एवं माप के आयातक।
- ऐसे मामले, जिनमें एक समान मॉडल के लिए भारत सरकार द्वारा जारी वैध मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र पहले से विद्यमान हो।
- आयातक द्वारा जमा किए गए आवेदन
- मॉडल उसी विनिर्माता द्वारा बनाया गया है।

यह एसओपी इन पर लागू नहीं होगा:

- नए या अस्वीकृत मॉडल
- वे मॉडल जिनमें सिद्धांत, डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर, माप मापदंडों, सामग्री या निर्माण में कोई भी परिवर्तन हो

4. पात्रता मापदंड

एक आयातक इस एसओपी के तहत पात्र होगा, जहाँ:

- आयात के लिए प्रस्तावित मॉडल, भारत में पहले से मंज़ूर मॉडल जैसा ही है;
- इसके सिद्धांत, डिज़ाइन, विनिर्देश, सॉफ़्टवेयर/फर्मवेयर, सीलिंग की व्यवस्था, मटीरियल या मेट्रोलॉजिकल विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है;
- आयातक के पास भारत में आयात और बिक्री के लिए विनिर्माण या ब्रांड के मालिक से वैध अधिकार है;
- यह उपकरण लागू ओआईएमएल सुझावों/प्रमाणन (जहाँ लागू हो) के अनुरूप है और अनुमोदित मॉडल के विनिर्देश से मेल खाता है।

5. आवेदन प्रक्रिया

आयातकर्ता को निदेशक, विधिक मापविज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-01 (ईमेल: dirwm-ca@nic.in) को आवेदन जमा करना होगा।

6. आवश्यक दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

- मान्य ओआईएमएल-सीएस प्रमाण-पत्र, ओआईएमएल परीक्षण रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट
- विनिर्माता/ब्रांड मालिक से प्राधिकार पत्र
- उसी मॉडल के लिए भारत में जारी 'मॉडल का अनुमोदन प्रमाणपत्र' की प्रति
- यह अंडरटेकिंग कि मॉडल सभी तकनीकी और मेट्रोलॉजिकल पहलुओं में एक जैसा है
- यह अंडरटेकिंग कि इसके सिद्धांत, डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर/फर्मवेयर, मटीरियल या सीलिंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा
- उपकरण की तस्वीरें
- विस्तृत सीलिंग प्रक्रिया के साथ सीलिंग डायग्राम
- अंग्रेज़ी में ऑपरेटिंग/निर्देश मैनुअल
- सर्किट डायग्राम (जहाँ लागू हो)
- पीसीबी लेआउट और कंपोनेंट लिस्ट (जहाँ लागू हो)
- सॉफ़्टवेयर/फर्मवेयर का विवरण और वर्शन की जानकारी (जहाँ लागू हो)

- अंशाकंन प्रक्रिया
- मैकेनिकल ड्रॉइंग/एक्सप्लोडेड व्यू (जहाँ लागू हो)
- इंटरफ़ेस और कनेक्टिविटी की जानकारी (जहाँ लागू हो)
- सुरक्षा सुविधाओं का विवरण
- कोई अन्य दस्तावेज़

7. आवेदन की जाँच

7.1 आवेदन की जांच में निम्नलिखित होंगे:

- पहले से अनुमोदित मॉडल के साथ मॉडल की पहचान का सत्यापन
- एक जैसे मेट्रोलॉजिकल और तकनीकी पैरामीटर की पुष्टि
- ओआईएमएल प्रमाणन का सत्यापन
- विनिर्माता/ब्रांड मालिक के अधिकार की पुष्टि
- सीलिंग और छेड़छाड़-रोधी इंतज़ामों का आकलन

7.2 जहाँ पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो, वहाँ किसी नए मॉडल के अनुमोदन या परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

7.3 अगर कोई संदेह हो, बदलाव हो या जानकारी अधूरी हो:

- अतिरिक्त दस्तावेज़/स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं
- ज़रूरी समझे जाने पर सीमित सत्यापन/परीक्षण किया जा सकता है

8. अनुमोदन/पृष्ठांकन तंत्र

8.1 संतोषजनक सत्यापन के बाद, निदेशक द्वारा एक **पृष्ठांकन/मान्यता प्रमाणपत्र** जारी किया जा सकता है, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि आयातित उपकरण पहले से स्वीकृत मॉडल के समान है।

8.2 ऐसे पृष्ठाकंन होंगे:

- यह मॉडल के मूल अनुमोदन प्रमाणपत्र से जुड़ा होना चाहिए
- नए आयातक को मॉडल अनुमोदन का नया नंबर जारी किया जाएगा
- इस पर वही शर्तें लागू होंगी जो मूल अनुमोदन के लिए लागू थीं

9. अनुपालन स्थितियाँ

- मंज़ूर किए गए मॉडल में कोई बदलाव या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।
- आयातकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर समय अनुमोदित किए गए विनिर्देशों का सख्ती से पालन हो।
- किसी भी तरह के बदलाव के लिए विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार नए मॉडल की स्वीकृति लेनी होगी।
- नियमों का पालन करने की ज़िम्मेदारी आयातकर्ता की होगी, जैसा भी लागू हो।

10. सामान्य

आवेदकों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें:

- पूरे और सही दस्तावेज़
- पहले से अनुमोदित मॉडल के साथ पहचान का कड़ाई से मिलान
- मूल अनुमोदन प्रमाणपत्र के साथ सही तकनीकी तालमेल
- सॉफ़्टवेयर और सीलिंग की जानकारी साफ़-साफ़ जमा करना (जहाँ लागू हो)

11. **प्रमाणपत्र जारी करना**

पृष्ठांकन/मान्यता प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12. **इस एसओपी की प्रकृति**

यह एसओपी पूरी तरह से सुविधा देने और प्रक्रिया से जुड़ी है। इसका मकसद भारत में पहले से मंज़ूर हो चुके एक जैसे उपकरण के लिए मॉडल मंज़ूरी को दोबारा लेने से बचना है, साथ ही विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बने नियमों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह किसी भी कानूनी ज़रूरत को कम या रद्द नहीं करता है।

***